अपील फौजदारी सं. 01/2019
मणीलाल बनाम राज्य
निर्णय दिनांक 14.09.2020

न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण),उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ. दुष्यन्त दत्त,
आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या 01/2019 अपील फौजदारी
(सी.आई.एस. नम्बर 01/2019)

मणीलाल पुत्र हवजी कुण्डाला आयु 50 वर्ष, निवासी–गांव दोतर, पुलिस थाना पानरवा जिला उदयपुर ––अपीलार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिऐ अपर लोक अभियोजक –प्रत्यर्थी–अभियोगी.

अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश,जो बमुकदमा सं. 206/2007 रे.फो. राजस्थान राज्य बनाम जगदीश वगैरा अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरण में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ा के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल बालोटिया(आर.जे.एस.) द्वारा दिनांक 30.11.2018 को पारित किया गया।

उपस्थित–

1. श्री प्रकाश टांक, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त।
2. डॉ.गिरधारीलाल शर्मा,विद्वान अपर लोक अभियोजक।

::निर्णय:: **दिनांक : 14.09.2020**

1. यह अपील, अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल (जिसे आगे से केवल अभियुक्त कहा जाऐगा) की ओर से राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक (जिसे इस प्रकरण में आगे से अभियोगी कहा जाएगा) के विरूद्व न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ा (जिसे इस प्रकरण में आगे से केवल अधीनस्थ न्यायालय कहा जाऐगा) द्वारा उनके प्रकरण संख्या 206/2007 रे.फो.(राज्य बनाम जगदीश वगैरा) में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 30.11.2018 के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304–ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोपो में दोषसिद्व घोषित करते हुऐ अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में छः माह का साधारण कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अदम अदायगी अर्थदण्ड अपीलार्थी/अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताऐ जाने, धारा 337 भारतीय दण्ड

संहिता के दोषसिद्व आरोप में छः माह का साधारण कारावास एवं पांच सौ रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अदम अदायगी अर्थदण्ड अपीलार्थी/अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताऐ जाने, धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्व आरोप में एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रूपऐं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अदम अदायगी अर्थदण्ड अपीलार्थी/अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताऐ जाने एवं धारा 304–ए भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्व आरोप में अपीलार्थी/अभियुक्त को दो वर्ष के साधारण कारावास एवं 2,500/–रू.(अक्षरे दो हजार पांच सौ रूपऐ) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास पृथक से भुगताऐ जाने बाबत् दण्डादेश पारित किऐ गऐ। उक्त दण्डादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अपील माननीय सेशन न्यायालय, उदयपुर में दिनांक 24.12.2018 को प्रस्तुत की गई,जो कालान्तर में इस न्यायालय को अन्तरित होकर विधिवत निस्तारणार्थ दिनांक 02.01.2019 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. अपील के निस्तारणार्थ संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 28.05.2007 को प्रार्थी रेशमा पुत्र रामा ने बमुकाम सी.ए.सी. खेड़ब्रह्मा, गुजरात में मौखिक सूचना इस आशय की प्रस्तुत की थी कि कल दिनांक 27.05.2007 को शाम करीब 7.30 बजे गांव बेड़िया से शादी का नोतर करके वापिस जीप नम्बर जी.जे.–09–5641 में बैठकर उसका लड़का पिन्टू तथा अन्य वागा, होमा, रता, कमलेश, माला, केवरी, मीना, हकरा, हंसा, नगजी, मालकी, सपना, रमेश, बाबू सभी निवासी–दोतर पुलिस थाना पानरवा वापिस आ रहे थे कि महाद से आगे खोखरवाली नदी पार करते मोद पर रात 9.30 बजे जीप के चालक मणीलाल पुत्र हवजी ने जीप को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर जीप को पलटी खिला दी, जिससे जीप में बैठे लोगें के चोटे आई। जिन्हें ईलाज करवाने खेड़ब्रह्मा होस्पीटल लेकर गऐ, तो उसके लड़के पिन्टू की ईलाज के दौरान हॉस्पीटल में मृत्यु हो गई है। इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस थाना पानरवा पर अभियोग सं. 48/2007 धारा 279, 337, 304–ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान जीप मालिक कांता बेन पत्नी दयाला लक्ष्मण निवासी देरोल, पुलिस थाना खेड़ब्रह्मा, गुजरात को तलब कर धारा 133 एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत

नोटिस दिया जाकर घटना के समय चालक बाबत जबाब लिया गया, तो जीप नम्बर जी.जे.–09–5641 का चालक जगदीश पुत्र साजा पारगी निवासी डेरी का होना बताया। प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान सम्पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त जगदीश के विरूद्व विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304–ए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2010 को अभियुक्त जगदीश को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304–ए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सुनाऐ व समझाऐ गऐ तो अभियुक्त ने उक्त आरोपो से इन्कार कर प्रकरण में अन्वीक्षा चाही।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य अभियोजन में मौखिक साक्ष्य में कुल 25 साक्षीगण के बयान लेखबद्व करवाऐ तथा प्रलेखीय साक्ष्य में कुल 36 प्रलेख प्रदर्शित करवाऐ गऐ। अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल को धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना अभिकथित करते हुऐ यह अभिकथन किया कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा। तत्पश्चात विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की बहस अंतिम सुनकर, जैसा कि पूर्व में वर्णित किया गया है, अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल को दोषसिद्व घोषित कर दण्डादेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत अपील याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के दौराने बहस यह तर्क रहे हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/दण्डादेश न्याय एवं विधि के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किए जाने योग्य है। उनके यह भी तर्क रहे हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के यह भी तर्क है कि दिनांक 06.04.2015 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतः ही धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों एवं अपने विवेकानुसार अपीलार्थी/अभियुक्त के संबंध में साक्षीगण पी.ड.11 श्रीमती केवरी, पी.ड.12 नाजी, पी.ड.13 वागा, पी.ड.15 कमलेश एवं पी.ड.16 माला की साक्ष्य को आधार बनाकर बरवक्त घटना, दुर्घटनाग्रस्त जीप का चालक अपीलार्थी/अभियुक्त का होना पाया और अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्व अपराध

अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304–ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों बाबत उसे जमानती वारंट से तलब किया।विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के तर्क रहे है कि अनुसंधान के दौरान चक्षुदर्शी साक्षियों व अन्य साक्षियों की जो साक्ष्य संकलित की गई है, उसमें एवं धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दुर्घटना में संलिप्त वाहन के स्वामी से बरवक्त दुर्घटना वाहन का चालक कौन था, इस संबंध में जबाब प्राप्त करते हुए आरोप पत्र की अन्तर्वस्तु तय होती है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के तर्क रहे है कि प्रदर्श पी–19 नोटिस वाहन स्वामी कांता बेन को दिया गया, जिसने अपने प्रत्युत्तर में जीप वाहन सं. जीजे 09–5641 पर दिनांक 27.05.2007 को चालक जगदीश पुत्र साजाराम पारगी का होना बताया तथा अनुसंधान उपरान्त आरोप पत्र भी अभियुक्त जगदीश के विरूद्व विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त जगदीश के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304–ए भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर आरोप सारांश सुनाया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के यह तर्क रहे है कि धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश पारित करने से पूर्व इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्व की जा चुकी थी तत्पश्चात् अपीलार्थी/अभियुक्त को उक्त वर्णित अपराधों पर तलब किया गया और अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा न्यायालय में समर्पण करने के उपरांत उसके विरूद्व किसी भी अपराध की धाराओं का न तो प्रसंज्ञान लिया गया और न ही उसे आलौच्य निर्णय में की गई दोषसिद्वि बाबत आरोप सारांश सुनाऐ गऐ हैं। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के यह भी तर्क रहे है कि धारा 319(3)(क) के अन्तर्गत यह आज्ञापक प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के विरूद्व अपराध बाबत कोई साक्ष्य है तथा उसकी धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अन्वीक्षा की जा रही है, तो आज्ञापक रूप से ऐसे समस्त साक्षियों, जिनकी साक्ष्य पूर्व में लेखबद्व कर ली गई हैं, उन्हें पुनः परीक्षित किऐ जाने हेतु तलब किया जाना सदैव अपेक्षित है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के यह भी तर्क रहे है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्व प्रसंज्ञान लिऐ जाने से पूर्व उसकी अनुपस्थिति में जिन पी.ड.16 तक साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्व की गई, उनसे प्रतिपरीक्षण का साक्ष्य अभियोजन के दौरान अपीलार्थी/अभियुक्त को कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, इस प्रकार अपीलार्थी/अभियुक्त नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत से पूर्णतया वंचित रहा हैं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के यह भी तर्क रहे है कि उक्त तथ्यों की ओर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्व कर दण्डादिष्ट करने में भारी विधिक भूल है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपील, अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय/दण्डादेश अपास्त कर अपीलार्थी/अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किऐ जाने की प्रार्थना की है।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्को का विरोध करते हुए दौराने बहस यह तर्क दिए है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश पूर्णतया विधि सम्मत है, इसलिए आलौच्य आदेश को पुष्ट किया जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील निरस्त की जाऐ।

6. हमने, उभय पक्षकारान के तर्को पर मनन किया तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अनुशीलन एवं परीशीलन किया।

7. सर्व प्रथम हम यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक एवं समीचीन पाते है कि अपील न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तभी हस्तक्षेप करना चाहिऐ जब अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह से अवैधानिक, अनऔचित्यपूर्ण व अशुद्व हो,अन्यथा उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होता।

8. विधिसम्मत एवं न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुॅचने हेतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आई समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य सामग्री का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना न्यायोचित होगा।

9. उक्त परिपेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैंः—

1. क्या सुसंगत दिनांक, स्थान व समय पर अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल जीप नम्बर जीजे 09—5641 का चालक था एवं उक्त दिवस को उसके पास वक्त घटना उक्त वाहन को चलाने का वैद्य अनुज्ञा पत्र नहीं था?

2. क्या अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल द्वारा तत्समय उक्त वाहन को तेजगति, उपेक्षा व लापरवाहीपूर्ण तरीके से चलाया गया, जिससे दुर्घटनाग्रस्त वाहनअनियंत्रित होकर पलटी खा गया और उसमें सवार

परिवादी का पुत्र पिन्टु के शरीर पर आई चोटों की परिणतिस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई एवं उक्त दुर्घटना में अन्य आहतगण के शरीर पर भी उपहतियां कारित हुई?

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आई समग्र मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक परीशीलन करें तो प्रकरण के रिपोर्टकर्ता/परिवादी रेशमा ने अपनी मौखिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–16 में यह कथन किया है कि घटना के दिवस रात्री 9.30 बजे जीप नम्बर जी.जे.09–5641 के चालक मणीलाल पुत्र हवजी ने जीप को तेज रफ्तार, गफलत व लापरवाही से चलाकर पलटी खिला दी, जिससे उसमें बैठी सवारियों के शरीर पर चोटें आई है, जिनको ईलाज करवाने खेड़ाब्रह्मा गुजरात हॉस्पीटल ले गऐ। उसके पुत्र पिन्टु की ईलाज के दौरान हॉस्पीटल में मृत्यु हो गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना पानरवा पर अभियोग सं. 48/2007 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304–ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया। **दुर्घटनाग्रस्त जीप के पंजीकृत स्वामी श्रीमती कांता बेन को धारा 133 एम. वी. एक्ट के अन्तर्गत नोटिस दिया जाकर जबाब लिया गया, तो उसने प्रदर्श पी–19 के भाग ''इ से एफ'' प्रत्युत्तर में बरवक्त घटना उक्त वाहन पर चालक जगदीश कुमार पुत्र साजाराम का होना बताया और उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर के आधार पर प्रकरण में समग्र अनुसंधान करते हुए थानाधिकारी,पुलिस थाना पानरवा द्वारा अभियुक्त जगदीश के विरूद्व आरोप पत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2007 को प्रस्तुत किया गया।**

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट होते हैं कि आदेशिका दिनांक 06.04.2015 के अनुसार अभियोजन साक्ष्य में परीक्षित साक्षीगण पी.ड.11 श्रीमती केवरी, पी.ड.12 नाजी, पी.ड.13 वागा, पी.ड.15 कमलेश एवं पी.ड.16 माला के द्वारा दी गई साक्ष्य को आधार बनाकर बरवक्त घटना दुर्घटनाग्रस्त जीप का चालक अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल का होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया और अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304–ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों बाबत उसे जमानती वारंट से तलब किया। तत्पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्त के तलबी उपरान्त न्यायालय में उपस्थित होने पर

अभियोजन के शेष गवाहान की साक्ष्य लेखबद्व करवाई गई है। **इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के बहस के दौरान मुख्य तर्क यह रहे है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाऐं गऐ साक्षीगण पी.ड.1 से लगायत पी.ड.16 तक से प्रतिपरीक्षण किऐ जाने का कोई न्यायोचित अवसर प्रदान नहीं किया गया।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 23.01.2017 की आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल के न्यायालय में आत्म–समर्पण करने एवं जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसे जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रिहा किया गया एवं आदेशिका अनुसार शेष रहे अभियोजन साक्षियों को जमानती वारंट 5,000/–रूपऐ से तलब किया गया। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन यह स्पष्ट दर्शित होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त उसकी अनुपस्थिति में करवाई गई साक्ष्य से बचाव में प्रतिपरीक्षण नहीं कर सका है। इस प्रकार वह नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत से वंचित रहा है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली के परीशीलन से यह भी प्रकट होता है कि साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने के उपरांत अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान दिनांक 27.11.2018 को लेखबद्व किऐ गऐ और बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने से बहस अंतिम के लिए पत्रावली दिनांक 30.11.2018 नियत की गई। दिनांक 30.11.2018 की आदेशिका में आलौच्य निर्णय सुनाऐ जाने से पूर्व यह अंकित किया गया कि–'' पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि अभियुक्त मणीलाल को आरोप नही सुनाया गया। अतः अभियुक्त मणीलाल को अपराध धारा 279, 337, 338, 304–ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया गया, जिसने सुन–समझकर इन्कार किया और नवीन विचारण नहीं चाहा गया।''

इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा याचिका में प्रमुख रूप से उठाऐ गऐ तर्को के परिपेक्ष्य में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं परीशीलन से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि प्रकरण में साक्ष्य अभियोजन के दौरान दिनांक 06.04.2015 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर परीक्षित साक्षीगण पी.ड.1 से लगायत पी.ड.16 तक से उन्हें पुनः तलब किऐ जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा हेतु प्रतिपरीक्षण का समुचित

अवसर प्रदान नही किया गया और आनन–फानन में आलौच्य निर्णय/दण्डादेश पारित करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल को अपने नैसर्गिक एवं विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। **ऐसे में इस स्तर पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समग्र मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य की विचारणीय बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में विवेचना किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत होने से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।**

11. परिणामस्वरूप, हस्तगत प्रकरण में इस अपीलीय न्यायालय के विनम्र मतानुसार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय/दण्डादेश पूर्णतया विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल को प्रकरण में उसकी अनुपस्थिति में परीक्षित करवाऐ गऐ अभियोजन साक्षियों से उसकी प्रतिरक्षा बाबत प्रतिपरीक्षण किऐ जाने के विधिक अधिकार से वंचित करते हुए विधिक प्रावधानों की पूर्णतया अवहेलना की गई है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में पारित आलौच्य निर्णय/दण्डादेश की प्रासंगिकता, शुद्वता एवं वैद्यता प्रश्नों के घेरों में आ जाती है एवं आलौच्य निर्णय/दण्डादेश दिनांक 30.11.2018 में अवैधता, अशुद्धता एवं अनुचितता स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है।

12. परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण में मणीलाल को बतौर अभियुक्त तलब किऐ जाने से पूर्व परीक्षित समस्त 16 साक्षीगण से, मणीलाल को प्रतिरक्षा हेतु प्रतिपरीक्षण का समुचित अवसर प्रदान किऐ जाने एवं तत्पश्चात् प्रकरण में विधि–सम्मत विचारण पूर्ण करते हुए उभय पक्षकारान की पुनः बहस अंतिम सुनी जाकर विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

13. फलतः अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल की ओर से प्रत्यर्थी/अभियोगी राजस्थान राज्य जरिऐ अपर लोक अभियोजक के विरूद्व प्रस्तुत यह अपील याचिका स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटड़ा, जिला–उदयपुर द्वारा उनके प्रकरण सं. 206/2007 रे.फो. (राज्य बनाम जगदीश वगैरा) में पारित आलौच्य निर्णय/दण्डादेश दिनांक 30.11.2018 अपास्त किया जाता है तथा **विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित**

(Remand) किया जाता है कि वो अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल की अनुपस्थिति में करवाऐ गऐ अभियोजन साक्षीगण को पुनः नियमानुसार तलब कर अपीलार्थी/अभियुक्त को उन साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने का समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य लेखबद्व करें एवं तदुपरान्त अपीलार्थी/अभियुक्त मणीलाल का धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता में परीक्षण कर साक्ष्य सफाई पेश करने का अवसर प्रदान करते हुऐ उभय पक्षकारान की बहस अंतिम सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें, इस सम्बन्ध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण के पक्षकारान को नियमानुसार दिनांक 01.10.2020 के लिऐ तलब करें।

इस निर्णय की एक प्रति के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जाऐ।

(डॉ. दुष्यन्त दत्त)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
(महिला उत्पीडन प्रकरण),
उदयपुर

14. निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. दुष्यन्त दत्त)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
(महिला उत्पीडन प्रकरण),
उदयपुर